दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 19 अगस्त 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 319

महत्वपूर्ण एवं खास

अफगानिस्तान संकट पर सरकार की बड़ी बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। अफगानिस्तान में तालिबान संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यॉरिटी की बैठक हुई। यह कमिटी सरकार की सर्वोच्च निकाय है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से निपटती है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई सीनियर अधिकारी बैठक में शामिल हुए। अधिकारिक सूत्रों ने बैठक की पुष्टि तो की लेकिन बैठक में क्या चर्चा हुई इस पर कुछ भी नहीं कहा। सूत्रों ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के अलावा अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन भी मौजूद रहे, जो आज ही वायुसेना के विमान से भारत लौटे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत दो विमानों से भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों को वापस ला चुका है। हालांकि, अफगानिस्तान में अब भी कई भारतीय हैं। इसके अलावा अफगानी हिंदू और सिखों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है।

नए जजों की नियुक्ति मामले में मीडिया रिपोर्टिंग से नाराज हुए सीजेआई

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम की बैठक पर मीडिया रिपोर्टों में लगाई गई अटकलों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पवित्र प्रक्रिया है और इससे गरिमा जुड़ी हुई है। मीडिया को उसकी सुचिता को समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं बेहद नाराज हूं और सभी पक्षकारों से उम्मीद करता हूं कि वे इस संस्थान की सुचिता एवं गरिमा बनाए रखेंगे। प्रक्रिया के लंबित रहने और यहां तक कि प्रस्ताव को आधिकारिक रूप देने से पहले ही मीडिया की खबरों में अटकलें लगाने से उल्टा असर होता है। इस तरह की गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग और अटकलों के कारण प्रतिभाओं की प्रगति के मौकों को नुकसान पहुंचता है।

हैती में भूकंप से 2,000 के करीब पहुंची मरने वालों की संख्या

हैती। हैती में शनिवार को आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 1,941 लोगों की मौत हो गई है, अधिकारियों का कहना है कि पिछले आंकड़े से 500 से अधिक की वृद्धि देखने मिली है। 7.2 तीव्रता के भूकंप के बाद से लगभग 10,000 लोग घायल हो गए हैं और कई अभी भी लापता हैं। दूसरी तरफ, इस सप्ताह ट्रॉपिकल स्टॉर्म ग्रेस द्वारा कैरेबियाई राष्ट्र में लाइ गयी भरी बारिश से लोगों को बचाने के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अब लगभग 500,000 बच्चों के पास आश्रय, सुरक्षित पानी और भोजन के मिलने की कोई पहुंच नहीं है। देश में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के प्रतिनिधि ब्रूनो मेस ने कहा, अनगिनत हाईटियन परिवार, जिन्होंने भूकंप के कारण अपना सब कुछ खो दिया है, अब बाढ़ के कारण पानी में रहने को मजबूर हैं। भूकंप से बेघर हुए हजारों लोगों को यह तय करना था कि क्या उन्हें कमजोर तिरपाल के नीचे तूफान का सामना करना है या फिर भूकंप और छोटे झटकों से क्षतिग्रस्त हुए अपने इमारतों में वापस लौटने का जोखिम उठाना है।

पीएम मोदी की घोषणा के बाद एक्शन में रेलवे

» कई बदलावों के हर माह तैयार होंगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस

नई दिल्ली (आरएनएस)। पीएम नरेंद्र मोदी ने लालकिला से 2023 तक 75 नई वंदेभारत एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद से ही रेल मंत्रालय घोषणा को जमीनी स्तर पर उतारने में जुट गया हैं।

रेलवे वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रत्येक महीने में अपनी पूरी क्षमता के साथ ट्रेनों का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। रेलवे हर माह 6 वंदेभारत एक्सप्रेस का निर्माण कार्य करेगा। जिससे निर्धारित समय सीमा में 75 वंदेभारत एक्सप्रेस देश के सभी प्रमुख शहरों से शुरू हो सके। सूत्रों के अनुसार,अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक प्रत्येक माह छह वंदेभारत एक्सप्रेस का निर्माण किया जाएगा। वहीं किसी एक माह में एक अतिरिक्त वंदेभारत का निर्माण होगा। इस तरह पूरे साल में 73 वंदेभारत एक्सप्रेस तैयार कर ली जाएंगी। जिन्हें देश के विभिन्न शहरों के बीच चलाया जा सकेगा। अभी वर्तमान में दो वंदेभारत एक्सप्रेस का निर्माण किया जा रहा है जो मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। ट्रायल और सीआरएस क्लीयरेंस के बाद इनका सुचारू रुप से संचालन शुरू कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में देश में केवल दो वंदेभारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है। इनमें एक नई दिल्ली से वाराणसी के बीच और दूसरी नई दिल्ली से कटरा के बीच। मौजूदा वंदेभारत एक्सप्रेस की संख्या भी जोड़ लें, तो यह संख्या 77 हो जाएगी। अभी देश में वंदेभारत एक्सप्रेस केवल आईसीएफ चेन्नई में तैयार की जा रही है। लेकिन जल्द ही ये ट्रेनें देश के दो और अन्य कोच फैक्ट्रियों में तैयार हो सकेंगी। आईसीएफ चेन्नई के अलावा मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) रायबरेली और रेल फैक्ट्री कपूरथला (आरसीएफ) कपूरथला में भी वंदेभारत एक्सप्रेस तैयार की जाएंगी। तकनीकी रूप में नई वंदेभारत एक्सप्रेस में कई बदलाव भी किए जाएंगे।

यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाया जाएगा। हर कोच में दो की बजाय अब चार इमरजेंसी पुश बटन होंगे। इमरजेंसी विंडो बढ़ेंगे, दरवाजे और खिड़कियों में फायर सर्वाइवल केबल का इस्तेमाल होगा, जिससे आग लगने की स्थिति में भी दरवाजा और खिड़कियां खोलना आसन होगा। गौरतलब है कि देश में वंदेभारत एक्सप्रेस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। पहली ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली के बीच शुरू की गई थी। इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। यह देश की अपनी तरह की पहली और सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसका लुक बुलेट ट्रेन से मिलता-जुलता बनाया गया है।

राष्ट्रपति कोविन्द ने चार राष्ट्रों के राजदूतों से परिचय पत्र स्वीकार किए

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बुधवार को एक वर्चुअल समारोह में होली सी, नाइजीरिया, ऑस्ट्रिया और कोरिया गणराज्य के राजदूतों से परिचय पत्र स्वीकार किए। अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजदूतों में आर्चविशप लियोपोल्डो गिरेली, होली सी के अपोस्टोलिक नुनसियो, अहमद सुले, नाइजीरिया संघीय गणराज्य के उच्चायुक्त,श्रीमती कैथरीना वीसर, ऑस्ट्रिया गणराज्य की राजदूत और चांग जे-बोक, कोरिया गणराज्य के राजदूत शामिल हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राजदूतों को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और उन्हें भारत में एक सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत के इन सभी चार देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और भारत इनके साथ शांति, समृद्धि का एक समन्वित दृष्टिकोण साझा करता है।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों में भारत की भागीदारी के कारण पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी बनी है। विकासशील देशों के हितों और कम प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, भारत एक न्यायसंगत और समान वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। राजदूतों/उच्चायुक्तों ने अपने नेतृत्व की ओर से माननीय राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दीं और भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने देश के राजनीतिक प्रमुखों की प्रतिबद्धता को दोहराया।

देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती वाली याचिका हुई खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती और एक पुलिस अधिकारी की बहाली से संबंधित दो पैराग्राफ हटाने का अनुरोध किया गया था।

न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि वह बंबई हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश में हस्तक्षेप नहीम करना चाहती है। इसके साथ ही पीठ ने याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि किन पहलुओं पर जांच होगी यह निर्धारित कर वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के संवैधानिक अदालत के आदेश को कमतर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करनी है और हम उन्हें सीमित नहीं कर सकते। यह एक संवैधानिक अदालत की शक्तियों को नकारने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच का विरोध करने से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार पूर्व मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए किसी भी जांच के लिए तैयार रहना चाहिए और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए। बता दें कि सीबीआई जांच की अनुमति देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुनंदा पुष्कर केस में शशि थरूर आरोप मुक्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। पुष्कर की मौत 2014 में हुई थी।

बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को राहत देते हुए पुष्कर की मौत से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया। 51 साल की पुष्कर की लाश दिल्ली के एक होटल में 17 जनवरी 2014 को मिली थी। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) और 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) के तहत मामला दर्ज किया था। थरूर की तरफ से पेश वकील विकास पाहवा ने बताया कि विशेष जांच दल द्वारा की गई जांच में उनके खिलाफ लगाए आरोपों पर सबूत नहीं मिले और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा कि आरोपी को बरी कर दिया गया है। यह आदेश थरूर की ओर से मौजूद वकील विकास पाहवा और सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव की मौजूदगी में सुनाया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पाहवा ने यह भी तर्क दिया था कि पुलिस जांच पर सालों बिताने के बाद भी सुनंदा पुष्कर की मौत के कारण का पता नहीं लगा सकी।

गौरतलब है कि शुरू में दिल्ली पुलिस ने पुष्कर की मौत की एक हत्या के रूप में जांच की।. सरकारी वकील श्रीवास्तव ने तर्क दिया था कि उनकी मृत्यु से पहले, पुष्कर के शरीर पर चोटें आई थीं और वे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिखी थीं। थरूर की प्रतिक्रिया पुष्कर की मौत के मामले में पुलिस ने थरूर को मुख्य आरोपी बनाया था और वे अभी तक जमानत पर थे। कोर्ट के फैसले के बाद थरूर ने कहा है कि उनके साथ न्याय हुआ है, हालांकि उन्हें निराधार आरोपों का सामना करना पड़ा है।

भारत को अगले छह साल में मिल सकती हैं पहली महिला सीजेआई

» सरकार को भेजी गई नौ नामों की सिफारिश

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के पद को महिलाएं सुशोभित कर चुकी हैं। अब भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जिन नौ जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है, उसमें तीन महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। हालांकि, भारत को पहली महिला जीफ जस्टिस के लिए 2027 तक का इंतजार करना होगा।

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को नियुक्ति के लिए एक भी नाम की सिफारिश नहीं भेजी थी। न्यायमूर्ति नरीमन के 12 अगस्त को बाहर होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों की जगह खाली थी, लेकिन 18 अगस्त यानी आज न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद 10 लोगों की जगह सुप्रीम कोर्ट में खाली हो जाएगी।

नौ नाम में तीन महिला जज – कॉलेजियम की ओर से जो नाम केंद्र सरकार को नियुक्ति के लिए भेजे गए हैं, उसमें कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना का नाम शामिल है, जो पदोन्नत होकर देश की पहली महिला सीजेआई बन सकती हैं। इसके अलावा तेलंगाना हाईकोर्ट की हिमा कोहली व गुजरात हाईकोर्ट की बेला त्रिवेदी के नाम की सिफारिश भी कॉलेजियम ने की। इन तीन महिला जज के अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अभय श्रीनिवास, गुजरात के विक्रम नाथ, सिक्किम के जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, केरल के सीटी रविकुमार व एमएम सुंदरेश भी शामिल हैं।

अभी सुप्रीम कोर्ट में है सिर्फ एक महिला जज – सुप्रीम कोर्ट में हाल-फिलहाल सिर्फ एक महिला जज हैं। इनका नाम है जस्टिस इंदिरा बनर्जी लेकिन, जस्टिस बनर्जी अगले साल 2022 सितंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगी। बता दें अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आठ महिला जजों की ही नियुक्ति हुई है। अगर केंद्र सरकार कॉलेजियम की सभी सिफारिशों को मान लेता है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 हो जाएगी। केंद्र सरकार कॉलेजियम की ओर से भेजी गई सिफारिशों को समीक्षा के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा उन नामों की संतुति करता है तो केंद्र सरकार को इसको मानना अनिवार्य होगा।

बच्चों के लिए सितंबर तक आ सकती है स्वदेशी वैक्सीन

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में सितंबर तक बच्चों के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन आ सकती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (पुणे) के निदेशक प्रिया अब्राहम ने 2-18 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सिन के चल रहे दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर यह बात कही है।

प्रिया अब्राहम ने एक साक्षात्कार में कहा कि उम्मीद है कि ट्रायल के परिणाम बहुत जल्द उपलब्ध होंगे। जिसको नियामकों के समक्ष पेश किया जाएगा। प्रिया ने कहा कि इसलिए सितंबर तक या उसके ठीक बाद, हमारे पास बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके उपलब्ध हो सकते हैं। गौरतलब है कि आईसीएमआर और हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सिन को तैयार किया था। भारत में जिन तीन टीकों के मंजूरी मिली है उसमें कोवैक्सिन टीका भी शामिल है। इसके अलावा दो अन्य टीके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड है और रूस का स्पुतनिक वी है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने जनवरी में देश में आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सिन को मंजूरी दी थी।

केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 57 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविडरोधी टीके उपलब्ध कराए

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।

देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान करेगी।

केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 57.88 करोड़ से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 18,62,530 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।

आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बरबाद हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 55,11,64,632 खुराकों की खपत हो चुकी है।

अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 94 लाख से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।

पत्नी को तलाक दे सकते हैं, बच्चों को नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि पति पत्नी को तो तलाक दे सकता है लेकिन बच्चों को नहीं. पति को बच्चों की देखभाल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति से कहा कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है लेकिन अपने बच्चों को तलाक नहीं दे सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक मांगने पहुंचे व्यक्ति को छह सप्ताह के भीतर बच्चों की देखभाल के लिए चार करोड़ देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकार का

इस्तेमाल किया और दंपति को आपसी रजामंदी के आधार पर तलाक का आदेश पारित किया। पति-पत्नी 2019 से अलग रह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि समझौते के तहत जो शर्तें तय हुई हैं, वही लागू होंगी। पति की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को कहा कि कोरोना के कारण बिजनेस को नुकसान हुआ है और बच्चों की परवरिश की रकम तुरंत नहीं दी जा सकती। वकील ने कोर्ट से कुछ और समय मांगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि पति ने खुद कहा था जिस दिन तलाक को मंजूरी मिलेगी उस दिन वह चार करोड़ रुपये का भुगतान बच्चों की देखभाल के लिए जमा करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे में आर्थिक स्थिति का हवाला देकर अब दलील नहीं टिकती। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं लेकिन बच्चों को तलाक नहीं दे सकते क्योंकि आपने उन्हें जन्म दिया है। आपको उनकी देखभाल करनी होगी. आपको तलाक ले चुकी पत्नी की देखभाल और नाबालिग बच्चों की परवरिश के लिए राशि का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में पति को एक सितंबर 2021 तक एक करोड़ रुपये देने और उसके बाद बाकी के तीन करोड़ रुपये 30 सितंबर 2021 के पहले भुगतान करना का आदेश दिया। कोर्ट ने दंपति की तरफ से शुरू की गई सभी कानूनी प्रक्रियाओं को भी निरस्त कर दिया है। बेंच ने कहा कि दंपति के बीच हुए समझौते की अन्य सभी शर्तें उनके बीच हुए अनुबंध के तहत ही पूरी की जाएंगी। अलग होने वाले पति-पत्नी के दो बच्चे हैं। बच्चों की कस्टडी को लेकर पहले ही समझौता हो चुका है।